महालेखाकार (लेखापरीक्षा II), का कार्यालय, केरल
Office of the Accountant General (Audit II), Kerala
प्रेस ब्रीफ / Press Brief

वर्ष 2023-24 के लिए राज्य वित्त पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2025 की रिपोर्ट संख्या 3), केरल सरकार को 09 अक्टूबर 2025 को केरल विधान सभा के समक्ष्स प्रस्तुत की गयी है ।

The Report of the Comptroller and Auditor General of India on State Finances for the year 2023-24, (Report No.3 of 2025), Government of Kerala has been laid on the table of the **Kerala Legislative Assembly on 09 October 2025.**

यह लेखापरीक्षा रिपोर्ट, केरल सरकार के वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करने के अलावा, वर्ष 2023-24 के लिए राज्य सरकार के वित्त लेखा और विनियोजन लेखा की जांच से उत्पन्न होने वाले मामलों पर टिप्पणियां प्रदान करती है । रिपोर्ट में उजागर किए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं का सारांश नीचे दिया गया है:

This Audit Report, apart from providing a broad perspective of the finances of the Government of Kerala, contains observations on matters arising from examination of the Finance Accounts and Appropriation Accounts of the State Government for 2023-24. The summary of the significant points highlighted in the Report are given below:

केरल का सकल राज्य घरेलू उत्पाद / Gross State Domestic Product of Kerala

- राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) (वर्तमान मूल्यों पर) 2019-20 में ₹8,12,935 करोड़ से 2023-24 में ₹11,46,109 करोड़ तक औसतन 8.97 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा ।

  Gross State Domestic Product (GSDP) (at current prices) of the State grew at an average annual growth rate of 8.97 *per cent* from ₹8,12,935 crore in 2019-20 to ₹11,46,109 crore in 2023-24.

राजस्व संसाधन और व्यय / Revenue Resources and Expenditure

- राज्य की राजस्व प्राप्तियां 2019-20 से 2023-24 के दौरान 8.38 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से ₹90,224.67 करोड़ से बढ़कर ₹1,24,486.15 करोड़ हो गईं । हालांकि, राजस्व प्राप्तियां 2022-23 में 1,32,724.65 करोड़ रुपये से 6.21 प्रतिशत घटकर 2023-24 में 1,24,486.15 करोड़ रुपये रह गईं । राज्य के अपने कर राजस्व में 2022-23 में 71,968.16 करोड़ रुपये से 3.28 प्रतिशत की वृद्धि हुई और 2023-24 में 74,329.01 करोड़ रुपये हो गया। गैर-कर राजस्व में भी 8.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि इस अवधि के दौरान संघ करों और शुल्कों में राज्य की हिस्सेदारी में 19.07 प्रतिशत की वृद्धि हुई । हालांकि, भारत सरकार से अनुदान सहायता में 2022-23 में 27,377.86 करोड़ रुपये से 55.92 प्रतिशत की कमी आई और 2023-24 में 12,068.26 करोड़ रुपये हो गई ।

Revenue receipts of the State grew from ₹90,224.67 crore to ₹1,24,486.15 crore during 2019-20 to 2023-24 at an average annual growth rate of 8.38 *per cent.* However, Revenue Receipts decreased by 6.21 *per cent* from ₹1,32,724.65 crore in 2022-23 to ₹1,24,486.15 crore in 2023-24. State's own tax revenue increased by 3.28 *per cent* from ₹71,968.16 crore in 2022-23 to ₹74,329.01 crore in 2023-24. Non-tax revenue also increased by 8.12 *per cent* while State's share in Union taxes and duties increased by 19.07 *per cent* during the period. However, Grants-in-aid from GoI decreased by 55.92 *per cent* from ₹27,377.86 crore in 2022-23 to ₹12,068.26 crore in 2023-24.

- राजस्व व्यय में ₹37,906.42 करोड़ (36.20 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जो 2019-20 में ₹1,04,719.92 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹1,42,626.34 करोड़ हो गई, जो पांच साल की अवधि के दौरान 8.03 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि दर से बढ़ी।

  Revenue expenditure increased by ₹37,906.42 crore (36.20 *per cent)* from ₹1,04,719.92 crore in 2019-20 to ₹1,42,626.34 crore in 2023-24 growing at an annual average growth rate of 8.03 *per cent* during the five-year period.

- वेतन और मजदूरी, ब्याज भुगतान और पेंशन पर प्रतिबद्ध व्यय 2019-20 में 71,221.27 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 92,728.15 करोड़ रुपये हो गया, जो वार्षिक औसत दर 6.82 प्रतिशत है। प्रतिबद्ध व्यय 2022-23 में 90,656.05 करोड़ रुपये से 2,072.10 करोड़ रुपये (2.29 प्रतिशत) बढ़कर 2023-24 में 92,728.15 करोड़ रुपये हो गया।

  Committed expenditure on salaries and wages, interest payment and pensions increased at an annual average rate of 6.82 *per cent* from ₹71,221.27 crore in 2019-20 to ₹92,728.15 crore in 2023-24. Committed expenditure increased by ₹2,072.10 crore (2.29 *per cent*) from ₹90,656.05 crore in 2022-23 to ₹92,728.15 crore in 2023-24.

- पूंजीगत व्यय 2019-20 में 8,454.80 करोड़ रुपये से बढ़कर 2021-22 में 14,191.73 करोड़ रुपये हो गया, लेकिन इसके बाद 2022-23 में घटकर 13,996.56 करोड़ रुपये और 2023-24 में 13,584.45 करोड़ रुपये हो गया। 2019-20 से 2023-24 के दौरान पूंजीगत व्यय कुल व्यय का केवल 7.39 से 9.28 प्रतिशत था।

Capital expenditure increased from ₹8,454.80 crore in 2019-20 to ₹14,191.73 crore in 2021-22 but decreased thereafter to ₹13,996.56 crore in 2022-23 and ₹13,584.45 crore in 2023-24. Capital expenditure during 2019-20 to 2023-24 constituted only 7.39 to 9.28 *per cent* of the Total expenditure.

- राज्य सरकार का पीएसयू में निवेश 2019-20 में 8,775.35 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 10,920.97 करोड़ रुपये हो गया। उपरोक्त अवधि के दौरान निवेश पर प्रतिफल भी 1.14 प्रतिशत से बढ़कर 2.22 प्रतिशत हो गया। हालांकि, यह 2019-20 से 2023-24 के दौरान उधार पर सरकार द्वारा भुगतान की गई 6.74 प्रतिशत से 7.58 प्रतिशत तक की ब्याज दर से कम रही। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार का निवेश 2022-23 में 10,709.18 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 10,920.97 करोड़ रुपये हो गया, जबकि इस अवधि के दौरान निवेश पर प्रतिफल 0.46 प्रतिशत से बढ़कर 2.22 प्रतिशत हो गया।

The State Government's investment in PSUs increased from ₹8,775.35 crore in 201920 to ₹10,920.97 crore in 2023-24. The return on investment also increased from 1.14 *per cent* to 2.22 per cent during the above period. However, it fell short of the rate of interest ranging from 6.74 *per cent* to 7.58 *per cent* paid by Government during 201920 to 2023-24 on borrowings. The State Government's investment in PSUs increased from ₹10,709.18 crore in 2022-23 to ₹10,920.97 crore in 2023-24 while return on investment increased from 0.46 *per cent* to 2.22 *per cent* during the period.

घाटा/Deficit

राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के बीच के अंतर के परिणामस्वरूप राजस्व घाटा होता है। राज्य के कुल व्यय और कुल गैर-ऋण प्राप्ति के बीच के अंतर के परिणामस्वरूप राजकोषीय घाटा होता है।
The gap between the revenue receipt and revenue expenditure results in revenue deficit. The gap between the total expenditure and total non-debt receipt of the State results in fiscal deficit.

- राज्य का राजस्व घाटा वर्तमान वर्ष में बढ़कर ₹18,140.19 करोड़ (जीएसडीपी का 1.58 प्रतिशत) हो गया, जबकि वर्ष 2019-20 में यह ₹14,495.25 करोड़ (जीएसडीपी का 1.78 प्रतिशत) था।
  The revenue deficit of the State increased to ₹18,140.19 crore (1.58 *per cent* of GSDP) in the current year from ₹14,495.25 crore (1.78 *per cent* of GSDP) in the year 2019-20.

- राज्य का राजकोषीय घाटा 2019-20 में ₹23,837.47 करोड़ (जीएसडीपी का 2.93 प्रतिशत) से बढ़कर 2023-24 में ₹34,258.05 करोड़ (जीएसडीपी का 2.99 प्रतिशत) हो गया।
  The fiscal deficit of the State increased to ₹34,258.05 crore (2.99 *per cent* of GSDP) in 2023-24 from ₹23,837.47 crore (2.93 *per cent* of GSDP) in 2019-20.

ऑफ-बजट उधार/ Off-budget borrowings

- राज्य सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से ₹10,632.46 करोड़ की ऑफ-बजट उधार राशि जुटाई, जो राज्य के समेकित कोष में नहीं आई, लेकिन बजट के माध्यम से चुकाई और सेवा की जानी चाहिए।
  The State Government, through Public Sector Undertakings, raised ₹10,632.46 crore as off-budget borrowings, which did not flow into the Consolidated Fund of the State but are required to be repaid and serviced through budget.

केरल फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी (केएफआर) अधिनियम की आवश्यकताएं और वित्तीय मापदंडों का अनुपालन
Kerala Fiscal Responsibility (KFR) Act requirements and compliance with fiscal parameters

केएफआर अधिनियम कुछ सीमाएं निर्धारित करता है जिसके भीतर, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, उधार को जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में ऋण को बनाए रखा जाना चाहिए।

The KFR Act prescribes certain limits within which, revenue deficit, fiscal deficit, debt as a percentage of the GSDP should be maintained.

- 2023-24 में, राजस्व घाटा 1.20 प्रतिशत राजस्व अधिशेष के लक्ष्य के मुकाबले 1.58 प्रतिशत था; राजकोषीय घाटा 3.5 प्रतिशत की सीमा के मुकाबले 2.99 प्रतिशत था; ऑफ-बजट उधार सहित बकाया देनदारी 33.70 प्रतिशत की सीमा के मुकाबले 37.84 प्रतिशत थी।
  In 2023-24, revenue deficit was 1.58 *per cent* of GSDP as against the target of 1.20 *per cent* revenue surplus; fiscal deficit was 2.99 *per cent* of GSDP as against the limit of 3.5 *per cent*; outstanding liability including off-budget borrowings was 37.84 *per cent* of GSDP as against limit of 33.70 *per cent* prescribed in KFR Act.

बजटीय प्रबंधन / Budgetary Management

- राज्य का बजट परिव्यय 2019-20 में ₹1,94,462.61 करोड़ से 2023-24 में ₹2,67,969.30 करोड़ तक औसतन 8.35 प्रतिशत की वृद्धि दर से बढ़ा। यह 2022-23 में ₹2,47,628.77 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 2,67,969.30 करोड़ हो गया।
  Budget Outlay of the State grew at an average growth rate of 8.35 *per cent* from ₹1,94,462.61 crore in 2019-20 to ₹2,67,969.30 crore in 2023-24. It increased from ₹2,47,628.77 crore in 2022-23 to 2,67,969.30 crore in 2023-24.
- विनियोजन खातों में वर्ष 2023-24 के दौरान ₹427.68 करोड़ की अधिकता से ₹29,962.02 करोड़ की समग्र बचत दर्शाई गई, जिसके परिणामस्वरूप ₹29,534.34 करोड़ की निवल बचत हुई।
  The Appropriation Accounts depicted an overall savings of ₹29,962.02 crore offset by excess of ₹427.68 crore during the year 2023-24 resulting in net savings of ₹29,534.34 crore.
- समग्र बचत, यानी खर्च की प्रभारित और मतदान वाली वस्तुओं को एक साथ लेने पर 2022-23 में 18.07 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 11.02 प्रतिशत हो गई।
  The overall savings, i.e., both charged and voted items of expenditure taken together decreased from 18.07 *per cent* in 2022-23 to 11.02 *per cent in* 2023-24.

पिछले वित्तीय वर्षों के अतिरिक्त व्यय का नियमितीकरण / Regularisation of excess expenditure of previous financial years

- राज्य सरकार को संविधान के अनुच्छेद 204 और 205(1)(बी) के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा नियमित अनुदानों / विनियोजनों पर अधिशेष प्राप्त करना होता है। यह देखा गया कि 2023-24 में सात अनुदानों और एक विनियोजन के तहत 427.68 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ, जिसे नियमितीकरण की आवश्यकता थी। इसके अलावा, 2016-17 से 2022-23 की अवधि से संबंधित 2,202.11 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को अभी तक नियमित नहीं किया गया था।

  The State Government has to get excesses over grants/appropriations regularized by the State Legislature as per article 204 and 205(1)(b) of the constitution. It was observed that in 2023-24 there was excess expenditure of ₹427.68 crore under seven grants and one appropriation which required regularisation. Further, excess expenditure of ₹2,202.11 crore pertaining to the period from 2016-17 to 2022-23 were yet to be regularised.